

Court No. - 51

Case :- WRIT - C No. - 27587 of 2023

Petitioner :- Tulsi And 5 Others

Respondent :- State Of U.P. And 5 Others

Counsel for Petitioner :- Suresh Chandra Verma, Krishna Kant Vishwakarma

Counsel for Respondent :- CSC, Padmakar Pandey

Hon'ble Chandra Kumar Rai, J.

1. Heard Mr. Devesh Kumar Verma, learned counsel for the petitioners, Mr. S.P. Singh, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents and Mr. S.C. Verma, learned Advocate assisted by Mr. Padmakar Pandey learned counsel for respondent No.5.

2. Brief facts of the case are that Tehsildar vide order dated 1.10.2014 under Section 34 of U.P. Land Revenue Act ordered to record the name of respondent no.5 on the basis of sale deed executed by Mst. Kesha on 1.6.2013 in favour of respondent no.5 in respect to 1/2 share of Plot No.1696 Ka area 0.080 hectare, 1697 area 0.1000 hectare, 1698 area 0.1000 hectare, 1701 area 0.2000 hectare total area 0.480 hectare situated in Village- Katri Khewra, Pergana, Tehsil and District- Kanpur Nagar. Petitioners challenged the order of Tehsildar dated 1.10.2014 in appeal before Sub Divisional Officer under Section 210 of U.P. Land Revenue Act which was dismissed vide order dated 14.9.2016. Petitioners again challenged the appellate order in Revision under Section 219 of U.P. Land Revenue Act which has been dismissed vide order dated 7.2.2023 hence this writ

petition on behalf of the petitioner challenging the impugned judgment dated 1.10.2014 passed by respondent no.4, judgment dated 14.9.2016 passed by respondent no.3 and judgment dated 7.2.2023 passed by respondent no.2. Civil Proceedings are pending before Civil Court including Civil Suit No. 1455 of 2013 filed by petitioners in respect to sale deed in question.

3. Learned counsel for the petitioners submitted that mutation application filed on behalf of respondent No.5 on the basis of sale deed alleged to be executed on 01.06.2013 has been allowed in arbitrary manner and the order has been maintained in appeal and revision without considering the case of the petitioners. He further submitted that one Civil suit No.1456 of 2016 filed by petitioners against one Dharmendra Kumar, Rajesh Kumar as well as Shamshad Alam was decreed ex-parte by judgment and decree dated 23.5.2022 by which the sale deed executed on 19.2.2016 in favour of Dharmendra Kumar Verma was cancelled. He further submitted that judgment and decree dated 23.05.2022 passed in civil suit No.1456 of 2016 was placed before the revisional court, but revisional court without considering the judgment and decree of the civil court has dismissed the revision, hence this writ petition.

4. Mr. S.C. Verma assisted by Mr. Padmaker Pandey, learned counsel for respondent No.5 submitted that sale deed executed by recorded owner in favour of respondent No.5 on 01.06.2013 has not been cancelled till date by any Court. He further submitted that mutation application on the basis of alleged sale deed dated 01.06.2013 was allowed by

the Tehsildar and order has been maintained in appeal and revision. He further submitted that Commissioner has rightly recorded the finding that there is no evidence on record for cancellation of sale deed executed on 01.06.2013. He further submitted that petitioners have challenged the sale deed executed in favour of respondent No.5 through Civil Suit No. 1455 of 2013 but the matter is pending before civil court, as such there is no illegality in the order of mutation passed by Tehsildar, which has been maintained in appeal and revision. He further submitted that decree passed by Civil Court in Suit No. 1456 of 2016 is in respect to different matter as such the same can not be relied upon. He further placed finding of fact recorded by the Commissioner regarding death certificate produced by the petitioners in the proceeding in order to demonstrate that petitioners have committed fraud in obtaining death certificate of Kesha @ Parvati. He further submitted that no interference is required in the matter as writ petition arises out of summary proceeding under Section 34 of U.P. Land Revenue Act.

5. I have considered the arrangements advanced by learned counsel for the parties and perused the record.

6. There is no dispute about the fact that Tehsildar has passed the order for mutation in favour of respondent No.5 on the basis of the sale deed executed on 01.06.2013 and order of Tehsildar has been maintained in appeal and revision

7. The finding of fact recorded by Tehsildar (Judicial) Tehsil-Sadar, District-Kanpur Nagar will be relevant for perusal

which is as under:

मण्डल:- कानपुर
न्यायालय आयुक्त
वाद संख्या:- 03107/2016
तुलसी आदि बनाम श्रीमती सुषमा अवस्थी आदि
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:- C201603000003107
अंतर्गत धारा:- 219, उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901
आदेश तिथि:- 07/02/2023
अंतिम आदेश
आदेश

7. संक्षेप में तथ्य यह है कि पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 01.06.2013 जो बही नं० 1 जिल्द नं० 6037 के पृष्ठ 127 से 150, क्रमांक 3158 पर उप निबन्धक (जोन-2) कानपुर नगर में रजिस्ट्रीकृत कराया गया, के द्वारा आराजी सं० 1696 क रकबा 0.0800 हे०, 1697 रकबा 0.1000 हे०, 1698 रकबा 0.10000 हे०, 1701 रकबा

0.2000 हे० कुल रकबा 0.4800 हे० स्थित ग्राम कटरी ख्योरा परगना व जिला कानपुर नगर के ½ भाग रकबा 0.2400 हे० को श्रीमती केशा पत्नी नन्दा ने श्रीमती सुषमा अवस्थी पत्नी श्री मनोज अवस्थी को विक्रय किया। उक्त पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 01.06.2013 के आधार पर नामान्तरण आदेश दिनांक 11.07.2013 श्रीमती सुषमा अवस्थी उत्तरदाता सं०-1 के पक्ष में पारित हुआ। आदेश दिनांक 11.07.2013 के विरुद्ध विनायक श्री डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अनिरुद्ध त्रिवेदी की ओर से परीक्षण न्यायालय में दिनांक 19.09.2013 को व तुलसी आदि की ओर से दिनांक 31.10.2013 को रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये। परीक्षण न्यायालय द्वारा पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश दिनांक 01.10.2014 द्वारा आपत्तिकर्तागण तुलसी आदि व विनायक श्री डेवलपर्स प्रा०लि० की आपत्तियाँ निरस्त करते हुए पूर्व पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 11.07.2013 यथावत बहाल किया गया। परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2014 के विरुद्ध तुलसी आदि द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील योजित कर कहा कि बैनामा फर्जी है। केशा का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2016 के द्वारा तुलसी आदि की अपील दिनांक 13.10.2014 खारिज कर दी गयी। परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2014 एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2016 के विरुद्ध यह निगरानी तुलसी आदि द्वारा योजित की गयी है।

8. वाद ग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2013 का है। निगरानीकर्तागण के अनुसार केशा उर्फ पार्वती की मृत्यु दिनांक 06.12.1958 को हुई है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी, विकासखण्ड कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा केशा उर्फ पार्वती के मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 10.02.2015 से स्पष्ट है। जबकि उत्तरदाता सं०-1 श्रीमती सुषमा अवस्थी के अनुसार केशा उर्फ पार्वती की मृत्यु दिनांक 01.04.2016 को हुई जो अधिशासी अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, गंगाघाट, उन्नाव द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 21.04.2016 से साबित है। पक्षों में विवादित सम्पत्ति केशा उर्फ पार्वती के स्वामित्व की होने में कोई विवाद नहीं है। विवाद यह है कि केशा उर्फ पार्वती की मृत्यु दिनांक 06.12.1958 को हुई है या दिनांक 01.04.2016 को हुई है? इस सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 10.02.2015 की जांच हेतु इस न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 19.01.2023 मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर को प्रेषित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा प्रकरण की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर नगर से करायी

गयी और मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर ने अपने पत्र सं०-2669/वि०/वै०सहा०/2022-23, दिनांक 06.02.2023 द्वारा जांच आख्या इस न्यायालय को उपलब्ध करायी, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण मुरारी पाठक, अब सेवानिवृत्त द्वारा केशा उर्फ पार्वती का मृत्यु प्रमाण-पत्र उसके जीवित रहते जारी किया गया, जिसके लिए श्री कृष्ण मुरारी पाठक दोषी हैं। इसके अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०) सिटी, कानपुर नगर द्वारा मूल वाद सं० 1380/2013 श्रीमती केशा बनाम तुलसी में दिनांक 29.11.2013 में अवधारित किया गया है कि "वादिनी सशरीर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है और अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार भी वादिनी की मृत्यु नहीं हुई है।" इस प्रकार मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर की आख्या दिनांक 06.02.2023 एवं सिविल जज (जू०डि०) सिटी, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 29.11.2013 से पूर्णतः साबित है कि केशा उर्फ पार्वती की मृत्यु दिनांक 06.12.1958 को नहीं हुई है, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण-पत्र सं० 263168001122 दिनांक 21.04.2016 से केशा उर्फ पार्वती की मृत्यु दिनांक 01.04.2016 को होना साबित है। स्पष्ट है कि विक्रय-पत्र पंजीकरण की दिनांक 01.06.2013 में केशा उर्फ पार्वती जीवित थी। मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर की जांच आख्या दिनांक 06.02.2013 से साबित है कि केशा उर्फ पार्वती के जीवित रहते मृत्यु प्रमाण-पत्र तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण मुरारी पाठक (वर्तमान में सेवानिवृत्त) द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार केशा उर्फ पार्वती का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्णा मुरारी पाठक एवं जारी कराने के लिए निगरानीकर्तागण प्रथम दृष्टया दोषी हैं। अतः उत्तरदायी सं०-1 श्रीमती सुषमा अवस्थी केशा उर्फ पार्वती के मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 10.02.2015 जारी करने एवं जारी कराने वालों के विरुद्ध सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और थानाध्यक्ष दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विक्रय-पत्र दिनांक 01.06.2013 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित आदेशों में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। तदनुसार निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

9- उपरोक्त प्रस्तर 6 से 8 में की गयी विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आदेश की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाय। आदेश की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जाये कि वह इस आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में कराकर न्यायालय को अवगत करायें। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल तफ्तर की जाय।

दिनांक 07-02-2023

(डा० राज शेखर)
आयुक्त,
कानपुर मण्डल।

8. Considering the finding of fact recorded by Tehsildar (Judicial) Tehsil-Sadar, District-Kanpur Nagar, there is no scope for interference under Article 226 of the Constitution.

9. It is also material that civil suit No.1455 of 2013 filed by petitioners for cancellation of sale deed dated 01.06.2013 is pending before the Civil Court.

10. Considering the entire facts and circumstances of the case, no interference is required in the matter and writ petition is dismissed accordingly.

11. Needless to say that order passed in mutation proceeding will not come in the way of petitioner to establish their claim before civil court in accordance with law.

Order Date :- 8.11.2023

PS*